न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 43/2019

रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री श्रवण जाति कोली निवासी ग्राम पालावास तहसील दौसा जिला दौसा राज०

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दौसा तहसील दौसा जिला दौसा ।

....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय योग्य अधि० न्यायालय तहसीलदार दौसा तहसील दौसा निर्णय दिनांक 23–04–2018 अन्तर्गत मुकदमा नंबर 13/2018 बअनुवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रवण अं० धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थित : 1. श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.4.2018 जो कि प्रकरण सं0 13/2018 उनवानी सरकार बनाम श्रवण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का पालावास तहसील दौसा ने एक रिपोर्ट इस आशय अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत करी कि श्रवण पुत्र गंगाराम जाति कोली निवासी पालावास ने ग्राम पालावास में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 394/1 रकबा 0.02 है० किस्म चरागाह पर संवत 2075 में अनाधिकृत रूप से प्लाट कब्जा पुख्ता निर्माण कर नया अतिचार किया है। उक्त रिपोर्ट पर अपीलांट को कोई सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गलत आधारो पर अपीलांट के पिता श्रवण की मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हो जाने के बावजूद भी श्रवण के नाम नया अतिक्रमण संवत 2075 में मान कर मृत व्यक्ति के खिलाफ दिनांक 23–04–2018 को आराजी मुतनाजा पर बेदखली व लगान की 50 गुना पैनल्टी के आदेश फरमाये गये है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23–04–2018 से व्यथित होकर यह अपील पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवम् न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जिससे भी निर्णय जेर अपील निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष शीर्षक प्रकरण में अपीलांट को समुचित सबूत सुनवाई का मौका दिये बिना हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट की जांच करवाये बिना अपीलांट के पिता की करीब 20 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी मृत व्यक्ति का संवत [illegible] नया अतिक्रमण मानकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध विधिविरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया गया है जबकि कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है उक्त निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। सूचना पत्रांकित [illegible] व्य निर्णय में अंकित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 394/1 के मूल खरारा नम्बर 394 थे जो कि उक्त आराजी पर ग्राम पंचायत जौपाडा द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति लघु व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सीमान्त कृषको को आबादी भूमि का निःशुल्क 2 कमरे का आवंटन भूखण्ड का पट्टा दिनांक 25–04–1991 को पट्टा संख्या 14 श्रवणलाल, अपीलांट के पिता के नाम जारी किया गया है तब से ही अपीलांट के पिता उसके जीवनकाल में 02 कमरे में रहते आ रहे थे। अपीलांट के पिता की मृत्यु अर्सा करीब 20 वर्ष पूर्व सन 1998 में हो गई है। तब से अपीलांट उक्त आराजी पर प्लाट बनाकर रहते आ रहे है। अपीलांट व अपीलांट के पिता श्रवण द्वारा कोई नया कब्जा नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट जो कि असत्य कथनों पर आधारित है जिस पर कोई गौर नहीं फरमाया है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व पटवारी हल्का की रिपोर्ट में विरोधाभास है। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमी श्रवण द्वारा संवत 2075 में प्लाट कब्जा पुख्ता निर्माण कर नया अतिक्रमण बताया है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में हल्का पटवारी व गिरदावर वृत अतिचारी फसल को कब्जेराज में लेकर नियमानुसार नीलाम करे एवं पालना रिपोर्ट पृथक से देने के निर्देश फरमाये गये है। इस प्रकार हल्का पटवारी की रिपोर्ट व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में भारी विरोधाभास होने के कारण निर्णय निरस्तनीय है। हल्का पटवारी, अपीलांट से अनुचित लाभ उठाना चाहता था जिसकी पूर्ति अपीलांट द्वारा नहीं करने पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के पिता श्रवण के विरूद्ध श्रवण की मृत्यु के बाद संवत 2075 में नया अतिक्रमण बताकर अपीलांट को नुकसान पहुंचाने के लिए निराधार असत्य प्रतिवेदन मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत कर अपीलांट को बेदखल कराने के प्रयास से प्रश्नगत आलोच्य निर्णय पारित करवाया गया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील, अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा का निर्णय दिनांक 23–04–2018 निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट का पुत्र अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी ने ग्राम पालावास के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 394/1 रकबा 0.02है. पर प्लॉट, कब्जा, पुख्ता निर्माण कर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण में अपीलांट का मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश श्रवण पुत्र गंगाराम के विरूद्ध पारित किया गया है। जिनकी मृत्यु 20 वर्ष पूर्व ही हो गई थी एवं यह आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है उक्त भूमि पर अपीलांट के पिता को 1991 में ग्राम पंचायत द्वारा पटटे जारी किये गये थे एवं वह विधिवत रूप से जारी किये गये पट्टो पर आवास बनाकर रहे है।

7. जहा तक पटटे दिये जाने का प्रश्न है तो उक्त संबंध में अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि यह भी सत्य है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.4.2018 को निरस्त किया जाकर इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह खसरा नंबर 394/1 पटवार हल्का पालावास पर पुनः जांच कर यदि नियम विरूद्ध अतिक्रमण पाया जाता है तो धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उक्त अतिक्रमियों के विरूद्ध पुनः नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जावे। इस संबंध में यदि किसी अन्य सक्षम न्यायालय का कोई निर्णय पारित किया गया हो तो उसका भी ध्यान रखा जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। तहसीलदार दौसा संभवतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

60 दिवस में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:42:30 IST
Reason: SelfAttested